रजि. सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 267] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 14 1983/आषाढ़ 23, 1905
No. 267] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 14, 1983/ASADHA 23, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 1983

सं. 204/83-सीमाशुल्क

सा. का. नि. 562(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है,

भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं 139 सीमा-शुल्क, तारीख 11 जुलाई, 1980 का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, जहां-कहीं "फिल्मों" शब्द आता है, उसके स्थान पर "फिल्मों और वीडियो कासेटों" शब्द रखे जाएंगे ।

[फा. सं. 466/19/79-सी. शु. VI]

ए. सी. बक, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th July, 1983

No. 204|83—CUSTOMS

G.S.R. 562(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (b) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 139-Customs, dated the 11th July, 1980, namely :—

In the said notification, for the word "films", wherever it occurs, the words "films and video cassettes", shall be substituted.

[F. No. 466|19|79-Cus. V]

A. C. BUCK, Under Secy

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983